ग्राम पंचायत कटगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुकत निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कटगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति संज्ञा डोलमा	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री पदम सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री शिव चन्द	01.04.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कटगांव के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.54
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	38.13
3	7	भण्डारण प्रविष्टियां न करना	42.61
4	8	निर्माण कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	50.34
5	9	बिना उचित बिल/वाउचर अनियमित भुगतान	14.12
6	10	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	0.03
7	11	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.02

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कटगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2017 से 08.12.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 9/14, 3/16, 3/17 तथा 10/14, 12/15 व 6/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि. प्र., स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कटगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र०, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./68 दिनांक 07.12.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा कटगांव के ड्राफ्ट संख्या: 073125 दिनांक 08.12.2017 के अंतर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित की गई है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत कटगांव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 17.31.3 के लेखाओं की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न पैरा **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 व 4.7** पर तथा माह वार आय-व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – क, ख, ग, घ, ड., च तथा छ** पर दिया गया है :-

संकलित वितीय स्थिति :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1650339.45	6197059.00	7847398.45	6207221.20	1640177.25
2015-16	1640177.25	10700813.00	12340990.25	10310889.92	2030100.33
2016-17	2030100.33	8019332.68	10049433.01	6961503.56	3087929.45

4.1 अनुदान तथा स्व: स्त्रौत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	532966.95	1802570	2335536.95	2023298	312238.95
2015-16	312238.95	1456121	1768359.95	1662182	106177.95
2016-17	106177.95	1747591	1853768.95	1272880	580888.95

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष **₹ 580888.95**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, कटगांव खाता संख्या:
25310101723 में जमा राशि **₹580532.95**

3) हस्तगत रोकड़ **₹ 356.00**

अन्तर **शून्य**

4.2 मनरेगा :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1505	1131616	1133121	1126535	6586
2015-16	6586	2111898	2118484	2116180	2304
2016-17	2304	2173051	2175355	2066479	108876

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष **₹108876**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, कटगांव खाता संख्या:
25310102249 में जमा राशि **₹108876**

अन्तर : **शून्य**

4.3 आइ. ए. वाइ. (IAY) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	168700	320326	489026	243750	245276
2015-16	245276	23570	268846	267405	1441
2016-17	1441	37091	38532	37500	1032

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1032**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, कटगांव खाता संख्या:
1737 में जमा राशि: - **₹1032**

अन्तर : **शून्य**

4.4 आर. ए. वाइ. (RAY) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	7729	56964	64693	45000	19693
2015-16	19693	19087	38780	37500	1280
2016-17	1280	66	1346	-	1346

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1346**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, कटगांव खाता संख्या:
25310104229 में जमा राशि: - **₹1346**

अन्तर : **शून्य**

4.5 तेरहवां एवं चौदहवां वित आयोग (13th & 14th FC) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	41410.00	139834.00	181244.00	94274.00	86970.00
2015-16	86970.00	34802.00	121772.00	105263.00	16509.00
2016-17	16509.00	1190912.68	1207421.68	615328.00	592093.68

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹592093.68**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, क्टगांव खाता संख्या: 1855 में जमा राशि: - **₹592093.68**

अन्तर : शून्य

4.6 लाडा (LADA) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	163877.50	2539264.00	2703141.50	1837573.20	865568.30
2015-16	865568.30	7049035.00	7914603.30	6081279.92	1833323.38
2016-17	1833323.38	2303278.00	4136601.38	2729314.56	1407286.82

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1407286.82**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, कटगांव खाता संख्या: 25310104656 में जमा राशि: - **₹1407068.78**

3) दिनांक 31.03.2017 को यूको बैंक, कटगांव खाता संख्या: 14160110007327 में जमा **₹218.04**

अन्तर : शून्य

4.7 आइ. ड्ब्ब्लयू. एम. पी.(IWMP) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	734151	206485	940636	836791	103845
2015-16	103845	6300	110145	41080	69065
2016-17	69065	567343	636408	240002	396406

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹396406**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, कटगांव खाता संख्या: 25310104094 में जमा राशि: - **₹396406**

3) दिनांक 31.03.2017 को यूको बैंक, कटगांव खाता संख्या: 14170110005552 में जमा **शून्य**

अन्तर : शून्य

5 पंचायत राजस्व ₹0.54 लाख वसूली हेतु शेष:-

स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर/सम्पतिकर की मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था परन्तु सम्बंधित सचिव द्वारा अन्य अभिलेख अर्थात रोकड़ बही तथा परिवार रजिस्टर के आधार पर तैयार व उपलब्ध करवाई सूचना से विदित हुआ कि अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक गृहकर/सम्पतिकर की आंशिक वसूली गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाये व भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक गृहकर के रूप में ₹54200 पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

2014-15	-	24100	24100	21600	2500
2015-16	2500	24300	26800	21800	5000
2016-17	5000	49200	54200	-	54200

6 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹38.13 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय:-**

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिक्ताएं प्रावधित हैं । व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "**परिशिष्ट-ज की पाद टिप्पणी-1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3813466 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

7 **₹42.61 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियां न करना :-**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित हैं । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण मे पाया गया कि "**परिशिष्ट-ज की पाद टिप्पणी-2"** में दिये गये विवरणानुसार **₹**4260938 के क्रय की गईं विविध वस्तुओं की भंडारण प्रविष्टियां नहीं की गईं जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का रख-रखाव नियमानुसार न होने के करने के कारणों को स्पष्ट करें तथा नियमानुसार क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाएँ तथा भविष्य में भी नियमानुसार स्टॉक/स्टोर का लेखा- जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ।

8 **₹50.34 लाख के निर्माण कार्य की वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जांच करने के लिए माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 14.2014 से 31.3.2017 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण "**परिशिष्ट –ज पाद टिप्पणी-3"** में दर्शाये गये भुगतान **₹**5033886 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

9 **बिना उचित बिल/वाउचर के अनियमित भुगतान**

लाडा रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि **₹**1411650 का भुगतान विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों को निम्न विवरणानुसार दर्शाया गया परंतु इसके सम्बंध में किसी प्रकार के विस्तृत व्यय प्रमाणक व माप पुस्तिका इत्यादि सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया

गया जिसके कारण इन राशियों के भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा साथ ही इनके दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत खाते में जमा किया जाये :-

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	वाउचर संख्या	रोकड़ बही के अनुसार कार्य का नाम/भुगतान का विवरण	राशि
04-6-2014	67	02	कामशु नारायण मंदिर बेई में डंगे का निर्माण	400000
13-10-2014	72	14	नागिन माता मंदिर दुतरंग का निर्माण कार्य	200000
13-8-2015	89	61	कामशु नारायण मंदिर बेई में डंगे का निर्माण	250000
13-8-2015	89	62	कामशु नारायण मंदिर बेई के सौंदर्यकरण का कार्य	100000
20-4-2016	14	02	महिला मण्डल भवन की द्वीतीय मंजिल का निर्माण	210000
18-6-2016	15	12	महिला मण्डल भवन की द्वीतीय मंजिल का निर्माण	150000
18-6-2016	15	13	महिला मण्डल भवन में फैंसिंग का निर्माण	79750
22-10-2016	23	51	महिला मण्डल भवन में फैंसिंग का निर्माण	21900
			कुल :-	**₹1411650**

10 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष:-

मोबाईल टावर शुल्क की आय की जांच में पाया गया कि पंचायत एरिया में बी.एस.एन.एल. के दो तथा एयरटैल कम्पनी का एक टावर स्थापित है लेकिन पंचायत द्वारा इससे प्राप्त होने वाले वार्षिक शुल्क का मांग एवंप्राप्ति का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था और न ही टावर की स्थापना की तिथि व अन्य सम्बंधित शर्तों का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे टावर शुल्क के रूप में देय व प्राप्त होने वाली राशि का सही आंकलन सम्भव नहीं हो पाया परन्तु सचिव द्वारा अन्य अभिलेख के आधार पर तैयार व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना से जांच पर विदित हुआ कि बी.एस.एन.एल. से टावर स्थापना की तिथि से अंकेक्षण अवधि तक किसी प्रकार का शुल्क पंचायत को प्राप्त नहीं हुआ था जबकि एयरटैल कम्पनी से वर्ष 01.04.16 से 31.03.17 तक का वार्षिक शुल्क ₹2500 प्राप्ति हेतु शेष था जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये तथा मोबाईल टावर शुल्क का मांग व वसूली सम्बंधित अपेक्षित अभिलेख वास्तविक स्थापना की तिथि से तैयार किया जाये तदानुसार बी.एस.एन.एल. से शुल्क प्राप्ति हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा भविष्य में प्रतिवर्ष मोबाईल शुल्क की यथासमय वसूली करना सुनिश्चित की जाये।

11 मजदूरी के रूप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान :-

जांच में पाया गया कि महिला मण्डल भवन कटगांव के निर्माण के सम्बंध में जारी मस्टरोल न0 2417 में निम्न व्यक्तियों की माह जून 2015 के लिये 30-6-2015 तक उपस्थिति दर्शाने के स्थान पर अशुद्ध रूप से दिनांक 31-6-2015 तक उपस्थिति दर्शाई गई और 31 दिन की मजदूरी का भुगतान भी किया गया जो कि अपेक्षित दिनों से एक दिन अधिक था परिणामस्वरूप लाडा रोकड़ बही पृष्ट 09 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार प्रमाणक संख्या: 146 दिनांक 29-12-2015 द्वारा कुल ₹1800 अधिक भुगतान किया गया जो कि पूर्णत: अनियमित व आपतिजनक है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

मजदूर का नाम	मस्टररोल में दर्ज क्रम सं0	जितने दिनों हेतु अधिक भुगतान किया गया	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
बिहारी लाल	02	01	225	225
नागेंद्र	03	01	225	225
संतोष साहु	05	01	225	225
अवदेश राम	06	01	225	225
सुकत राम	08	01	225	225
राज कुमार	10	01	225	225
धन्जय	15	01	225	225
राम बिहारी	17	01	225	225
		कुल :-		**₹1800**

12 वर्गीकृत सार को तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय – व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात मद वार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन - देन के अनुसार प्रविष्टियां की जायेंगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा । इस सार को बनाने का उद्देश्य आय – व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखना है । जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये ।

13 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्तत: हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जांच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपतिजनक भी है । अत: इस सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरांत ही अदायगी सुनिश्चित की जाये ।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भंडार का प्रत्येक छ: महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया है । समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(ix) 9/2018 खण्ड–1–2921–2924 दिनांक 27.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत कटगाँव, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881